Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 130: Confiscation of goods or conveyances and levy of penalty

- (1) ¹[Where] any person
 - (i) supplies or receives any goods in contravention of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder with intent to evade payment of tax; or
 - (ii) does not account for any goods on which he is liable to pay tax under this Act; or
 - (iii) supplies any goods liable to tax under this Act without having applied for registration; or
 - **(iv)** contravenes any of the provisions of this Act or the rules made thereunder with intent to evade payment of tax; or
 - (v) uses any conveyance as a means of transport for carriage of goods in contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder unless the owner of the conveyance proves that it was so used without the knowledge or connivance of the owner himself, his agent, if any, and the person in charge of the conveyance,

then, all such goods or conveyances shall be liable to confiscation and the person shall be liable to penalty under section 122.

(2) Whenever confiscation of any goods or conveyance is authorised by this Act, the officer adjudging it shall give to the owner of the goods an option to pay in lieu of confiscation, such fine as the said officer thinks fit:

Provided that such fine leviable shall not exceed the market value of the goods confiscated, less the tax chargeable thereon:

Provided further that the aggregate of such fine and penalty leviable shall not be less than the ²[penalty equal to hundred per cent. of the tax payable on such goods]:

Provided also that where any such conveyance is used for the carriage of the goods or passengers for hire, the owner of the conveyance shall be given an option to pay in lieu of the confiscation of the conveyance a fine equal to the tax payable on the goods being transported thereon.

(3) ³[****]

¹ Substituted for "Notwithstanding anything contained in this Act, if" by the Finance Act, 2021 (No. 13 of 2021). It is made effective from 01-01-2022 by Noti. No. 39/2021–Central Tax, dt. 21-12-2021.

² Substituted for "amount of penalty leviable under sub-section (1) of section 129" by the Finance Act, 2021 (No. 13 of 2021). It is made effective from 01-01-2022 by Noti. No. 39/2021–Central Tax, dt. 21-12-2021.

³ Sub-section (3) omitted by the Finance Act, 2021 (No. 13 of 2021). It is made effective from 01-01-2022 by Noti. No. 39/2021–Central Tax, dt. 21-12-2021. Earlier to omission it read as under:

[&]quot;(3) Where any fine in lieu of confiscation of goods or conveyance is imposed under sub-section (2), the owner of such goods or conveyance or the person referred

Central Goods & Services Tax Act, 2017

- (4) No order for confiscation of goods or conveyance or for imposition of penalty shall be issued without giving the person an opportunity of being heard.
- (5) Where any goods or conveyance are confiscated under this Act, the title of such goods or conveyance shall thereupon vest in the Government.
- (6) The proper officer adjudging confiscation shall take and hold possession of the things confiscated and every officer of Police, on the requisition of such proper officer, shall assist him in taking and holding such possession.
- (7) The proper officer may, after satisfying himself that the confiscated goods or conveyance are not required in any other proceedings under this Act and after giving reasonable time not exceeding three months to pay fine in lieu of confiscation, dispose of such goods or conveyance and deposit the sale proceeds thereof with the Government.

to in sub-section (1), shall, in addition, be liable to any tax, penalty and charges payable in respect of such goods or conveyance."

धारा 130 : माल या वाहन की जब्ती और शास्ति का उद्ग्रहण

- (1) ¹[जहां] व्यक्ति—
 - (i) कर संदाय के अपवंचन के आशय से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के किसी उल्लंघन में माल की पूर्ति या उसे प्राप्त करता है; या
 - (ii) किसी ऐसे माल का हिसाब नहीं देता है जिस पर वह इस अधिनियम के अधीन कर संदाय के लिए दायी है; या
 - (iii) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किए बिना इस अधिनियम के अधीन कर योग्य किसी माल की पूर्ति करता है; या
 - (iv) कर संदाय के अपवंचन के आशय से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है; या
 - (v) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में माल के परिवहन के लिए किसी वाहन का प्रयोग करता है, जब तक कि वाहन का मालिक यह सिद्ध न कर दे कि उसका या उसके अभिकर्ता की बिना जानकारी या मौन सहमति के यह कार्य हआ.

तब ऐसा सभी माल या वाहन जब्ती के लिए दायी होगा और वह व्यक्ति धारा 122 के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा।

(2) जब कभी किसी माल या वाहन की जब्ती इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है, तब उसका न्यायनिर्णयन करने वाला अधिकारी माल के स्वामी को जब्ती के स्थान पर ऐसा जुर्माना, जो उक्त अधिकारी ठीक समझे, संदाय करने का विकल्प देगा:

परन्तु ऐसा उद्ग्रहणीय जुर्माना जब्त माल पर प्रभारित कर की रकम को घटाने के पश्चात्, प्राप्त हुए उसके बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऐसा जुर्माना और उद्ग्रहणीय शास्ति ²[ऐसे माल पर संदेय कर के एक सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति] से कम नहीं होगा :

परन्तु यह भी कि जहां माल को ढ़ोने या भाड़े पर यात्रियों को ढोने में किसी वाहन का प्रयोग किया जाता है वहां ऐसे वाहन के मालिक को वाहन की जब्दी के स्थान पर उसमें ढोए गए माल पर संदेय कर के बराबर जुर्माना संदेय करने का विकल्प दिया जाएगा।

(3) ³[.....]

¹ वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा 'इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021—केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।

² वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा "धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति के रकम" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021—केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।

वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा धारा (3) विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।
विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार थी:

भाग—ा

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

- (4) माल या वाहन की जब्ती या शास्ति अधिरोपित करने का कोई आदेश उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना जारी नहीं किया जाएगा।
- (5) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी माल या वाहन को जब्त कर लिया जाता है वहां ऐसे माल या वाहन का स्वामित्व सरकार में निहित हो जाएगा।
- (6) जब्ती का न्यायनिर्णयन करने वाला समुचित अधिकारी जब्त वस्तुओं का कब्जा लेगा और उन्हें धारित करेगा तथा प्रत्येक पुलिस अधिकारी ऐसे समुचित अधिकारी की अध्यपेक्षा पर ऐसा कब्जा लेने और धारण करने में उसकी सहायता करेगा।
- (7) समुचित अधिकारी स्वयं का यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जब्त माल या वाहन इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अन्य कार्यवाहियों में अपेक्षित नहीं है और जब्ती के बदले जुर्माना देने के लिए तीन मास से अनिधक का युक्तियुक्त समय देने के पश्चात् ऐसे माल या वाहन का निस्तारण करेगा और उसके विक्रय आगमों को सरकार के पास जमा करेगा।

[&]quot;(3) जहां उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित माल या वाहन की जब्ती के स्थान पर कोई जुर्माना अधिरोपित किया जाता है, वहां ऐसे माल का स्वामी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति इसके अतिरिक्त किसी ऐसे माल या वाहन की बाबत शास्ति और शोध्य प्रभारों के लिए दायी होगा।"